Date 20.7.2009

छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 30, 1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री हेमचन्द यादव, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण)(संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2009) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) की धारा 90 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-09/दो/गृह-सी/2006, दिनांक 11 जून, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सायबर कैफे नियम, 2009 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्रमांक 20 सन् 2000) की धारा 56 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-1/15-2/2009/1, दिनांक 27 जनवरी, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नियम, 2008 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री विक्रम उसेण्डी, वन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश में वन्य जीवों का अवैध शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, कुलदीप जुनेजा, सदस्य, राजधानी रायपुर में वर्षा के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न किये जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 2

5. प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 223 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2009-2010 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति में हुए रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

6. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय

1 घंटा 30 मिनट (1) रायपुर राजधानी सहित प्रदेश में उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के मापदण्डों का पालन न करने के कारण पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर सर्वश्री देवजी पटेल, गुरू रूद्रकुमार, रविन्द्र चौबे, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश में अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर श्री नंद कुमार पटेल, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर

दिनांक 20 जुलाई, 2009

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.